

(भारत के राजपत्र भाग II, खण्ड 3(ii) में प्रकाशनार्थ)

ई फा.सं. 1/1/2023-बीओ-I

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

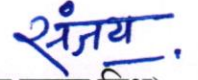
22 अप्रैल, 2025

नई दिल्ली, दिनांक -----

2 वैशाख, 1947 (शक)

अधिसूचना

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 8 की उप-धारा (4) के साथ पठित धारा 8 की उप-धारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री टी. रबी शंकर (जन्म तिथि 14.3.1963) को दिनांक 3.5.2025 से एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, भारतीय रिजर्व बैंक में उप-गवर्नर के पद पर पुनः नियुक्त करती है।



(संजय कुमार मिश्र)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र,

रिंग रोड, नई दिल्ली।